

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या
253/2020

रजू दिनांक
21.10.2020

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
23.02.2021

उनवान

1. धनेशचन्द पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.....वादी

बनाम

1. थावरिया पुत्र श्री जगदीश जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. सुभाचन्द पुत्र श्री उमरावसिंह जाति अहीर निवासी वार्ड सं 1, अटेलीमण्डी जिला महेन्द्रगढ हरि0।
3. सुभाषचन्द पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. अशोक कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. सतीश कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय कार्यालय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब कार्यालय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. राजेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी अहीर ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
10. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री केशवसिंह जाति अहीर निवासी रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल प्रतिवादीगण

—: फोरमल प्रतिवादी

—: असल प्रतिवादीगण

दावा— तकासमा आराजी बम्य हु0 ई0 दवामी

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री अशोक चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगन्नाथ यादव, श्री हंसराज यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.02.2021 को रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:-

“तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी का वाद पत्र अन्तिम पर्चा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1124/755 रकबा 1.35 है0 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श “अ” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे कांशत/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहंन

२५६
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।”

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

२५६/२३/२/२
(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज०

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०